

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1176
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए नियत

शून्य कार्बन उत्सर्जन

1176. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारत में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने एवं विनिर्माण (फेम इंडिया)-3 योजना के अंतर्गत देश में दो, तीन एवं चार पहिया वाहनों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाकर कार्बन ईंधन पर निर्भरता कम करने की योजना बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो इन वाहनों के लिए अलग से बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश के सभी पेट्रोल एवं डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है; और
- (घ) यदि हां, तो इसके लिए रोडमैप का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में तेजी लाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों कार्यान्वित कर रहा है:

- i. 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक की 4 महीने की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय से इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन स्कीम-2024 (ईएमपीएस), जिसमें ई-दुपहिया और ई-तिपहिया वाहनों के खरीदारों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- ii. 25,938 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से ऑटोमोबिल और आटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एएटी)। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रिक दुपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल हैं।
- iii. 18,100 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से उन्नत रसायन सेल विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-एसीसी)।
- iv. वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख विनिर्माता के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्धन स्कीम।

(ग): जी, नहीं।

(घ): उक्त (ग) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।